निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 226/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

शैतान पुत्र नन्छू जाति माली निवासी ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर)
2. देवीलाल पुत्र नाथू
3. झब्बू पुत्र नाथू
4. चन्दा पुत्र नाथू

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 वावत उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 32/2019 व उनवानी देवीलाल वनाम कमला व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने वावत।

उपस्थितः—

1. श्री कालूराम नायक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हरीश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 09.01.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष प्रकरण संख्या 32/2019 व उनवानी देवीलाल वनाम कमला व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश कुमार शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. वहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण दिनांक 18.02.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य वाद हेतु नियत रहा जिस पर

जिला कलक्टर
जयपुर

दिनांक 23.05.2022 को संशोधित तनकीयात व साक्ष्य वादी पूर्ण होने पर दिनांक 06.06.2022 साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की जाकर दिनांक 13.06.2022, 27.06.2022, 30.06.2022, 7.7.2022, 19.07.2022, 1.08.2022, 24.08.2022, 14.09.2022, 22.09.2022, 28.09.2022 पत्रावली वास्ते जबाब/बहस प्रार्थना पत्र नियत रही तथा पत्रावली दिनांक 29.08.2022 को भी वादी द्वारा जबाब/बहस प्रार्थना पत्र नियत रही, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र कोई आदेश पारित किये बिना खारिज करते हुए पत्रावली बहस अन्तिम में विधि विरूद्व आदेशिका दिनांक 29.09.2022 को जारी कर दी गई । प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 के साथ आये अन्य बिचौलिए व्यक्ति ने प्रार्थी को ग्राम में धमकी दी कि हमारी एस डी एम साहब से बात हो चुकी है जिस पर एस डी एम साहब दावे में आगामी तारीख पेशी नियत कर दावे को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 में हक में निस्तारित कर देंगें। अभी हाल ही में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के साथ आये बिचोलिये व्यक्ति ने पुनः प्रार्थी को धमकी दी, कि अब जल्दी एस डी एम साहब तुम्हारा दावा खारिज कर देंगे, हमारी उनसे बात हो चुकी है। इस पर प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व उसके साथ आये बिचोलिये व्यक्ति की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि यह कैसे हुआ ? जब अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व उसके साथ आये बिचोलिये व्यक्ति से अप्रार्थी संख्या 1 मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने झूंठे एवं काल्पनिक आरोप लगाते हुये मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने एवं प्रार्थी को परेशान करने के उद्वेश्य पेश किया गया है जिसके समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। पूर्व में भी इस प्रकरण में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश हुआ है, जो मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2021 को खारिज किया जा चुका है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल

जिला कलक्टर
जयपुर

किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर